

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 15-02-2025

विषय सूची

भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
सिविल मामलों में व्यभिचार की कानूनी स्थिति
न्यायिक अतिक्रमण: कार्यकारी नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी
'ग्रामीण भारतीय 'प्रछन्न भूखमरी' से पीड़ित हैं
संसदीय पैनल ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए धान के अवशेषों के लिए न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की

संक्षिप्त समाचार

डोकरा कलाकृति
सरोजिनी नायडू
नमस्ते(NAMASTE) रूपरेखा
U.S.-भारत ट्रस्ट पहल
भारत-अमेरिका 123 समझौता
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY)
ओंगोल नस्ल (Ongole Breed)
अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) ने जे. सी. बोस अनुदान (JBG) का शुभारंभ किया

भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

संदर्भ

- भारत में विश्व के कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल हैं। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण ये स्मारक गंभीर खतरे में हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की भूमिका

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की स्थापना 1861 में ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए की गई थी।
- ASI वर्तमान में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम (1904) और प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम (1958) के अंतर्गत 3,698 संरक्षित स्मारकों की देख-रेख करता है।
- ASI के कार्यों में शामिल हैं:
 - **संरक्षण और जीर्णोद्धार:** मंदिरों, किलों, मकबरों, चर्चों, महलों और प्रागैतिहासिक स्थलों का नियमित रखरखाव।
 - **निवारक उपाय:** जलवायु, प्रदूषण, अतिक्रमण और संरचनात्मक अस्थिरता से उत्पन्न खतरों का समाधान करना।
 - **निगरानी और अनुसंधान:** स्मारकों पर पर्यावरणीय

परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करना।

- **कानूनी प्रवर्तन:** यह सुनिश्चित करना कि स्मारकों को अवैध गतिविधियों और दुरुपयोग से बचाया जाए।

सांस्कृतिक विरासत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- **समुद्र का बढ़ता स्तर:** कोणार्क सूर्य मंदिर (ओडिशा) और महाबलीपुरम (तमिलनाडु) जैसे तटीय विरासत स्थल लवणीय जल के अतिक्रमण और कटाव के कारण खतरे में हैं।
- **अत्यधिक गर्मी और सूखा:** हीट वेव और बदलते मौसम पैटर्न प्राचीन संरचनाओं की स्थिरता को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से बनी संरचनाओं को।
- **भारी वर्षा और तेज वायु:** अधिक वर्षा और चक्रवातों के कारण किलों, महलों और गुफा मंदिरों में जल क्षति एवं क्षरण होता है।
- **वायु प्रदूषण:** प्रदूषण ने ताजमहल जैसे स्मारकों को बुरी तरह प्रभावित किया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के उच्च स्तर के कारण इसका संगमरमर पीला पड़ गया है।

विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए सरकारी उपाय

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और ASI ने कई उपाय अपनाए हैं:



- **संरक्षण के लिए वित्त पोषण में वृद्धि:** हाल के वर्षों में ASI के संरक्षण कार्य के बजट में 70% की वृद्धि हुई है।
 - 2020-21 आवंटन: ₹260.90 करोड़
 - 2023-24 आवंटन: ₹443.53 करोड़
- **जलवायु-अनुकूल संरक्षण पद्धतियाँ:** ASI ने स्मारकों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक संरक्षण तकनीकें अपनाई हैं।
- **स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS):** विरासत स्थलों पर तापमान, वायु, वर्षा और वायुमंडलीय दाब की निगरानी के लिए इसरो के सहयोग से स्थापित किया गया।
- **वायु प्रदूषण निगरानी प्रयोगशालाएँ:** प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने के लिए ताजमहल (आगरा) और बीबी का मकबरा (औरंगाबाद) जैसे स्मारकों के पास स्थापित की जाएँगी।
- **अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग:** ASI सांस्कृतिक स्थलों के आपदा प्रबंधन हेतु रणनीति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और यूनेस्को के साथ मिलकर कार्य करता है।
- **कानूनी संरक्षण को मजबूत करना:** प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम (1958) के अंतर्गत स्मारकों को अतिक्रमण और दुरुपयोग से संरक्षित किया जाता है।
 - 1958 अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत संरक्षित स्थलों को हानि पहुँचाने या विरूपित करने वालों के विरुद्ध भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

आगे की राह

- **सामुदायिक भागीदारी:** स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए।
- **जन जागरूकता:** शैक्षिक कार्यक्रम और अभियान लोगों को स्मारकों के संरक्षण के महत्व को समझने में सहायता कर सकते हैं।

- **उन्नत प्रौद्योगिकी:** AI, 3D मैपिंग और ड्रोन निगरानी का उपयोग ऐतिहासिक स्थलों के दस्तावेजीकरण एवं जीर्णोद्धार में सहायता कर सकता है।
- **सशक्त कानून प्रवर्तन:** अतिक्रमण और विरूपण के लिए कठोर कानून और कठोर दंड लागू किया जाना चाहिए।

Source: PIB

सिविल मामलों में व्यभिचार की कानूनी स्थिति

संदर्भ

- व्यभिचार, भरण-पोषण और तलाक से संबंधित सिविल मामलों में राहत के आधार के रूप में तथा सशस्त्र बलों में सजा के आधार के रूप में, कानून की किताबों में उपस्थित है।

परिचय

- हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भरण-पोषण रद्द करने के आधार के रूप में व्यभिचार को सिद्ध करने के लिए सहमति से यौन संबंध का साक्ष्य आवश्यक है।
- यह निर्णय प्रभावी रूप से व्यभिचार की कानूनी परिभाषा को पुनः प्रस्तुत करता है, जिसे सिविल कार्यवाहियों में न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया गया है।

व्यभिचार क्या है?

- **भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 497,** व्यभिचार को अपराध मानती है तथा इसके लिए दण्ड का प्रावधान करती है।
- इसमें व्यभिचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि “जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सहमति के बिना, ऐसा यौन संबंध व्यभिचार के अपराध का दोषी है”।
 - इसके अंतर्गत केवल पुरुष पर ही व्यभिचार का अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था और उसे दंडित किया जा सकता था।

- किसी व्यक्ति को व्यभिचार के लिए दण्डित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ, उस व्यक्ति की सहमति के बिना, यौन संबंध बनाए हों।
- **सजा:** इसके लिए पाँच वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था।

व्यभिचार का गैर-अपराधीकरण

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया। भारत संघ (2018) ने धारा 497 IPC को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि:
 - व्यभिचार एक निजी मामला है और इसके लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है।
 - यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
 - विवाह एक व्यक्तिगत संबंध है और राज्य को इसमें आपराधिक दायित्व लगाकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार एक नैतिक अपराध बना रहेगा और इसे सिविल कार्यवाही में आधार के रूप में लागू किया जा सकता है।
- नागरिक जीवन में व्यभिचार को अपराध घोषित किये जाने के बावजूद, सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अंतर्गत व्यभिचार अभी भी एक अपराध है। इन कानूनों के अंतर्गत सैन्य कर्मियों को व्यभिचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में व्यभिचार को अपराध मुक्त करने के पक्ष में तर्क

- **लैंगिक समानता:** कानून के अनुसार केवल पुरुषों पर ही मुकदमा चलाया जा सकता था, इसे अपराधमुक्त करने से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

- **व्यक्तिगत स्वायत्तता:** व्यभिचार को अपराध घोषित करने से संबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद सुभेद्य होती है।
- **स्वस्थ संबंधों को प्रोत्साहन:** व्यभिचार को अपराधमुक्त करने से दंड से ध्यान हटाकर वैवाहिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और व्यक्तियों को कानूनी प्रणाली का उपयोग करने के बजाय निजी तौर पर व्यक्तिगत विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **कानूनी प्रणाली पर भार बढ़ना:** व्यभिचार को अपराधमुक्त करने से न्यायिक प्रणाली पर भार कम हो जाएगा, जिससे न्यायालय अधिक गंभीर आपराधिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।

भारत में व्यभिचार को अपराधमुक्त करने के विरुद्ध तर्क:

- **वैवाहिक अखंडता की रक्षा:** इसे अपराध घोषित करने से वैवाहिक बंधन की पवित्रता की रक्षा करने में सहायता मिलती है तथा संबंधों को कमजोर करने वाले कार्यों को हतोत्साहित किया जाता है।
- **निवारण:** कानूनी परिणामों का खतरा बेवफाई के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।
- **सामाजिक एवं नैतिक मूल्य:** इसे अपराधमुक्त करना ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के रूप में देखा जा सकता है जो परिवार और सामाजिक संरचनाओं की नींव को नष्ट करता है।
- **महिलाओं पर प्रभाव:** ऐसे समाजों में जहाँ पितृसत्ता अभी भी प्रचलित है, आपराधिक परिणामों को हटाने से पुरुषों को बेवफाई करने हेतु प्रोत्साहन मिल सकता है।

Source: IE

न्यायिक अतिक्रमण: कार्यकारी नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी

संदर्भ

- हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने न्यायिक अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से कार्यकारी नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की भूमिका पर प्रश्न उठाया।

भारत में न्यायिक अतिक्रमण के संबंध में

- न्यायिक अतिक्रमण से तात्पर्य न्यायिक सक्रियता के चरम रूप से है, जहाँ न्यायपालिका द्वारा मनमाना, अनुचित और लगातार हस्तक्षेप विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करता है।
- ऐसा तब होता है जब न्यायालय नीतिगत निर्णय या कानून बनाकर अपनी संवैधानिक भूमिका का अतिक्रमण करता है, जो कि विधायिका का विशेषाधिकार है।
- भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली सुनिश्चित करता है, तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ निर्धारित करता है।

न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिक्रमण

पहलू	न्यायिक सक्रियता	न्यायिक अतिक्रमण
परिभाषा	नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका।	न्यायपालिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर विधायी या कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है।
उद्देश्य	संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और सरकारी विफलताओं को सुधारना।	न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से परे निर्णय लेना, जो प्रायः नीति-निर्माण जैसा होता है।
प्रभाव	लोकतंत्र को मजबूत करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।	लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है और शक्तियों के पृथक्करण को बाधित करता है।

रंजन गोगोई और पी. सदाशिवम सहित भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की महीन रेखा पर बल दिया है, तथा शासन में अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप के प्रति आगाह किया है।

- अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का प्रावधान करता है।

न्यायिक अतिक्रमण के उदाहरण

- सामान्य मामले:
 - ‘वंदे मातरम’ पर मद्रास उच्च न्यायालय का निर्देश (2017): तमिलनाडु के स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थाओं में ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य कर दिया गया, जिसे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में अत्यधिक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया।
 - सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने संबंधी उच्चतम न्यायालय का आदेश: राष्ट्रगान बजाने और खड़े होने के निर्देश को कार्यकारी नीति निर्माण में अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया।
 - मद्रास उच्च न्यायालय का आधार-सोशल मीडिया लिंकिंग प्रस्ताव (2019): न्यायालय ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आधार को सोशल मीडिया खातों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, इस सुझाव से गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो गईं और नीति-निर्माण में न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में इसकी आलोचना की गई।
- कार्यकारी नियुक्तियों के उदाहरण:
 - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को रद्द करना (2015): उच्चतम न्यायालय ने NJAC को अमान्य घोषित कर दिया तथा नियुक्तियों में न्यायिक प्रधानता की पुष्टि की, जबकि इस आयोग को कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर 99वें संविधान संशोधन अधिनियम (2014) के माध्यम से स्थापित किया गया था।
 - नौकरशाही नियुक्तियों में हस्तक्षेप:
 - प्रकाश सिंह केस (2006): पुलिस सुधार और अधिकारी नियुक्तियों के संबंध में कार्यपालिका

के विवेकाधिकार को दरकिनार करते हुए राज्यों को निर्देश दिया गया।

- **CBI निदेशक के रूप में आलोक वर्मा की बहाली (2018):** उच्चतम न्यायालय ने उन्हें हटाने के सरकार के फैसले को पलट दिया, जिससे कार्यकारी नियुक्तियों पर न्यायिक नियंत्रण प्रदर्शित हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सीनेट द्वारा उनकी पुष्टि की जाती है, जिससे कार्यकारी निरीक्षण सुनिश्चित होता है।
- **ब्रिटेन:** संसदीय सर्वोच्चता न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करती है।
- **फ्रांस और जर्मनी:** कार्यपालिका की नियुक्तियों और नीतिगत निर्णयों में न्यायपालिका की भूमिका सीमित है।

न्यायिक अतिक्रमण के निहितार्थ

- **लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण:** विधायी या कार्यकारी कार्यों में अतिक्रमण शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 50) को कमजोर करता है, जो लोकतंत्र का एक मूलभूत पहलू है।
- **संवैधानिक व्यवधान:** न्यायिक अतिक्रमण लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक शक्ति संतुलन को खराब कर देता है।
 - यह न्यायपालिका को अर्ध-विधायी या अर्ध-कार्यकारी इकाई में बदल सकता है, जिससे इसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
- **नीति कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** न्यायिक रूप से अधिदेशित नीतियों में गहन विचार-विमर्श का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी शासन व्यवस्था है।
 - शासन के लिए जिम्मेदार कार्यपालिका को नीतियों को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सीमाओं का सामना करना पड़ता है।
- **तनावपूर्ण अंतर-शाखा संबंध:** अतिक्रमण सरकारी शाखाओं के बीच अविश्वास को बढ़ावा देता है,

सहकारी शासन को बाधित करता है और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच संघर्ष को उत्पन्न करता है।

समिति की सिफारिशें

- **विधि आयोग की रिपोर्ट:** पारदर्शी न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **पुंछी आयोग (2010):** न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव दिया।

आगे की राह

- **न्यायिक जवाबदेही विधेयक:** न्यायिक जवाबदेही के लिए तंत्र स्थापित करना।
- **कॉलेजियम प्रणाली में सुधार:** पारदर्शिता और कार्यकारी परामर्श लागू करना।
- **आत्म-संयम को प्रोत्साहित करना:** न्यायपालिका को नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत में न्यायिक अतिक्रमण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जो शासन और सरकार की तीनों शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। यद्यपि न्यायिक सक्रियता ने संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अत्यधिक हस्तक्षेप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का खतरा है। भारत में शासन की अखंडता बनाए रखने के लिए न्यायिक संयम और संवैधानिक सीमाओं का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

Source: TH

ग्रामीण भारतीय 'प्रछन्न भूखमरी' से पीड़ित हैं

संदर्भ

- अर्द्ध शुष्क उष्ण कटिबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई भारतीय, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने या उन्हें खरीदने में सक्षम होने के बावजूद प्रोटीन की कमी से पीड़ित हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- भारत के अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए दो-तिहाई से अधिक परिवार प्रोटीन स्रोतों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद अनुशंसित मात्रा से कम प्रोटीन का उपभोग करते हैं।
- **मुख्य खाद्यान्नों का उपभोग:** ये क्षेत्र चावल और गेहूँ जैसे मुख्य अनाजों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो दैनिक प्रोटीन सेवन का 60-75% योगदान देते हैं।
- **प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का कम उपयोग:** दालें, डेयरी, अंडे और मांस जैसे खाद्य पदार्थों का कम उपयोग होता है, आवश्यक नहीं कि इसलिए कि वे दुर्लभ हैं, बल्कि सांस्कृतिक खाद्य प्राथमिकताओं, सीमित पोषण संबंधी जागरूकता एवं वित्तीय बाधाओं के कारण ऐसा होता है।
- **धनी परिवारों में कमी:** यहाँ तक कि धनी परिवार भी, जो विविध आहार का व्यय वहन कर सकते हैं, प्रायः अनुशंसित प्रोटीन सेवन स्तर को पूरा करने में असफल रहते हैं।
 - जिन घरों में महिलाओं की शिक्षा का स्तर उच्च था, वहाँ संतुलित आहार लेने की संभावना अधिक थी।
- **PDS प्रणाली:** भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कैलोरी सेवन में सुधार करने में सफल रही है।
 - हालाँकि, इसने अनजाने में अनाज की प्रधानता वाले आहार को मजबूत किया है, जबकि पर्याप्त प्रोटीन युक्त विकल्प प्रदान करने में विफल रहा है।
- **आहार संबंधी आदतों के कारण:**
 - गहराई से जमी हुई आहार संबंधी आदतें,
 - प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के महत्व के बारे में समझ की कमी,
 - वित्तीय बाधाएँ

अनुशंसाएँ

- पोषण संबंधी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सरकारी खाद्य कार्यक्रमों में दालों, बाजरा और अन्य प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना।

- संतुलित पोषण सेवन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता होगी।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्कूल पाठ्यक्रम में पोषण शिक्षा को एकीकृत करना।
- किसानों को पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की अधिक विविधता उगाने के लिए प्रोत्साहित करना।

अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT)

- ICRISAT एक प्रमुख शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है, जो छोटे किसानों के उत्थान और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।
- इसकी स्थापना 1972 में भारत सरकार और CGIAR के बीच एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई थी।
- ICRISAT का मुख्यालय एशिया (भारत) में स्थित है, तथा संगठन के कार्यालय पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका में स्थित हैं।

Source: DTE

संसदीय पैनल ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए धान के अवशेषों के लिए न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की

समाचार में

- संसद की एक समिति ने पराली जलाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के समान धान के अवशेषों के लिए भी न्यूनतम मूल्य तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है।

पराली जलाना

- पराली जलाना फसल कटाई के पश्चात् बचे फसल अवशेष (धान की पराली) को आग लगाने की प्रथा है, ताकि अगली फसल के लिए खेतों को शीघ्रता से साफ किया जा सके।
- इसका अभ्यास मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर के दौरान रबी गेहूँ की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए किया जाता है।

- पराली जलाने से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर हो जाता है, जिससे धुंध और पीएम 2.5 का स्तर बढ़ जाता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ बिगड़ जाती हैं। यह लाभदायक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करके मृदा की उर्वरता को हानि पहुँचती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ जाती है। इस प्रथा से ग्रीनहाउस गैसों (CO₂, CH₄, N₂O) भी निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन में योगदान देती हैं।

किसान पराली क्यों जलाते हैं?

- धान की कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच समय की कमी के कारण किसान पराली जलाते हैं।
- सब्सिडी के बावजूद वैकल्पिक तरीकों की उच्च लागत, मशीनीकृत अवशेष प्रबंधन को हतोत्साहित करती है।
- निश्चित बाजार मूल्य न होने के कारण धान की पराली बेचना लाभहीन हो जाता है।
- सीमित जागरूकता और अपर्याप्त प्रोत्साहन के कारण किसान त्वरित समाधान के रूप में फसलों को जलाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

मुख्य अनुशंसाएँ

- धान अवशेष के लिए न्यूनतम मूल्य:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के परामर्श से एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि खरीफ फसल के मौसम से पहले प्रतिवर्ष न्यूनतम मूल्यों को निर्धारित और अधिसूचित किया जा सके।
 - इस मूल्य में श्रम और मशीनरी व्यय सहित किसानों की संग्रह लागत शामिल होनी चाहिए।
- सब्सिडी:** सरकार को धान की पराली के प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, रोटोवेटर और मलचर जैसी मशीनों पर सब्सिडी देनी चाहिए।
- कम अवधि वाली धान की किस्मों को बढ़ावा देना:** समिति ने राज्य सरकारों से पूसा 44 जैसी लंबी अवधि वाली धान की किस्मों को हतोत्साहित करने तथा कम अवधि वाले विकल्पों को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा नीति का विकास:** जैव ऊर्जा उत्पादन में कृषि अवशेषों को एकीकृत करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय नीति।

- अन्य:** आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी फसल अवशेष प्रबंधन लागत का समाधान करना, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, आपूर्ति शृंखला बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना।

Source: Print

संक्षिप्त समाचार

डोकरा कलाकृति

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को एक पारंपरिक डोकरा कलाकृति उपहार में दी, जिसमें संगीतकारों को भारतीय वाद्ययंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है।

डोकरा कला



- छत्तीसगढ़ की डोकरा कला प्राचीन लुप्त-मोम तकनीक का उपयोग करके धातु-ढलाई की जाने वाली एक पारंपरिक कला है।
 - यह प्रथा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी प्रचलित है।
- संगीतकारों को गतिशील मुद्राओं में दर्शाती यह कलाकृति भारतीय विरासत में संगीत के सांस्कृतिक महत्त्व पर बल देती है।
- पीतल और तांबे से निर्मित इस मूर्ति में बारीक नक्काशी की गई है तथा इसे लाजवर्द एवं मूंगा से सजाया गया है।
- श्रम-गहन प्रक्रिया कारीगरों के कौशल और समर्पण को दर्शाती है, जिससे यह कलाकृति भारत की जनजातीय परंपराओं एवं कलात्मक उत्कृष्टता का उत्सव बन जाती है।

लॉस्ट वेक्स तकनीक

- इसमें मृदा के कोर को मोम के रिबन से जटिल ढंग से डिजाइन किया जाता है, तथा फिर उस पर मृदा और घास के मिश्रण से सावधानीपूर्वक लेप किया जाता है। इसके बाद मोम को पिघला दिया जाता है, और बनी गुहा को पिघली हुई धातु से भर दिया जाता है।

Source :IE

सरोजिनी नायडू

समाचार में

- भारत 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है, जो 2025 में उनकी 146वीं जयंती होगी।

सर्जरी नायडू के बारे में

- 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी नायडू एक प्रेरक कवियित्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं।
- वह भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं।
- 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त होने पर वह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनीं।
- प्रमुख योगदान:** उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महात्मा गांधी की अनुयायी थीं।
 - संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में सहायता की।
 - उन्होंने महात्मा गांधी के साथ 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- कविता और मान्यता:** नायडू ने छोटी उम्र में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, उन्होंने अपनी प्रथम लम्बी कविता, द लेडी ऑफ द लेक लिखी थी।
 - 1914 में अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित करने के बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो चुना गया।
 - नायडू के कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड (1905) ने उन्हें “बुल बुल ए हिंद” की उपाधि और विश्वव्यापी पहचान दिलाई।

- बहुभाषी क्षमता:** वह बंगाली, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाएँ बोलती थीं। अंग्रेजी में उनकी वाक्पटुता ने भारत और विदेश दोनों में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक सशक्त आवाज बन गईं।
- विरासत:** सरोजिनी नायडू का निधन 1949 में हुआ और वे एक सशक्त और गरिमामयी महिला के रूप में एक स्थायी विरासत छोड़ गईं।

Source: PIB

नमस्ते(NAMASTE) रूपरेखा

संदर्भ

- नमस्ते योजना के अंतर्गत PPE किट और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड का वितरण सफाई मित्रों की गरिमा, सुरक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नमस्ते योजना के बारे में

- उद्देश्य:** मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देकर मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना।
- सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान में वृद्धि करना।
- कार्यबल को औपचारिक बनाना और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना।
- कार्यान्वयनकर्ता:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)
- कार्यान्वयन समय-सीमा:** वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 (3 वर्ष)।
- लक्ष्य समूह:** प्रारंभ में सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSWs) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - कवरेज को अधिक विस्तारित करने के लिए 2024 में अपशिष्ट बीनने वालों को भी इसमें शामिल किया गया।

Source: PIB

U.S.-भारत ट्रस्ट पहल

समाचार में

- भारत और अमेरिका ने “रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों में परिवर्तन” (TRUST) पहल प्रारंभ की है।

ट्रस्ट पहल के बारे में

- यह महत्वपूर्ण खनिजों में अन्वेषण, पुनर्चक्रण एवं अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिज एवं सामग्री (CMM) कार्यक्रम और भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर आधारित है।
- यह लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति एवं प्रसंस्करण में सहयोग पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में आने वाली बाधाओं को कम करना, निर्यात नियंत्रणों का समाधान करना, तथा दोनों देशों के बीच उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों एवं उन्नत सामग्रियों के क्षेत्र में।
- **महत्व:** यह रक्षा, AI, अर्धचालक, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा।
 - इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करना है।

Source :IE

भारत-अमेरिका 123 समझौता

संदर्भ

- 2007 का भारत-अमेरिका 123 समझौता अंततः अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकेगा।

परिचय

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- यह घोषणा अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को “पूरी तरह से साकार करने” के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने की योजना पर आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा भी दर्शाती है।

123 2007 का समझौता

- इसे अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - **परमाणु व्यापार:** यह अमेरिका को भारत को असैन्य ऊर्जा प्रयोजनों के लिए परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी और रिएक्टरों की आपूर्ति करने की अनुमति देता है।
 - **परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धता:** इसके बदले में भारत अपने असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को पृथक करने तथा अपने असैन्य रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखने पर सहमत है।
 - **सैन्य कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध नहीं:** परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के विपरीत, इस समझौते में भारत को परमाणु हथियार विकास से वंचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत NPT पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
 - **ऊर्जा एवं आर्थिक सहयोग:** इस समझौते का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, भारत की बढ़ती ऊर्जा माँगों का समर्थन करना तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

Source: IE

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY)

संदर्भ

- वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) प्रारंभ करने की घोषणा की।

परिचय

- PMDKY तीन व्यापक मापदंडों के आधार पर 100 जिलों को कवर करेगा: कम उत्पादकता, मध्यम फसल गहनता, और औसत से कम ऋण मापदंड।
- फसल गहनता इस बात का माप है कि भूमि का उपयोग कितनी कुशलता से किया जाता है, और इसे कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- उद्देश्य:
 - कृषि उत्पादकता में वृद्धि;
 - फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना;
 - पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण को बढ़ावा देना;
 - सिंचाई सुविधाओं में सुधार;
 - दीर्घावधि एवं अल्पावधि ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना।
- इस योजना के अंतर्गत 1.7 करोड़ किसानों को सहायता मिलेगी। यह योजना राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित की जाएगी।
- लाभ: फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराता है।

Source: IE

ओंगोल नस्ल (Ongole Breed)

समाचार में

- ओंगोल नस्ल की गाय वियाटिना-19 ने ब्राजील में 41 करोड़ रुपये में नीलाम होकर इतिहास रच दिया।
 - इस बिक्री ने मूल्य के मामले में ओंगोल मवेशियों को जापान की वाग्यू और भारत की ब्राह्मण नस्लों से भी आगे कर दिया है।

ओंगोल नस्ल के बारे में

- ओंगोल नस्ल, जिसे नेल्लोर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से उत्पन्न हुई है।

- ओंगोल नस्ल की विशेषताएँ: चौड़ा माथा, अण्डाकार आंखें, अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलनीय।

भारत में अन्य महत्वपूर्ण देशी मवेशी नस्लें

- गिर(गुजरात)
- हल्लीकर (कर्नाटक)
- खिल्लारी (महाराष्ट्र)
- थारपारकर (राजस्थान)
- देवनी (आंध्र प्रदेश)

Source: TOI

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) ने जे. सी. बोस अनुदान (JBG) का शुभारंभ किया

समाचार में

- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) ने जे. सी. बोस अनुदान (JBG) प्रारंभ करने की घोषणा की है - जो एक प्रतिष्ठित नई योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है।

ANRF का परिचय

- ANRF वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत के सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की सिफारिशों के अनुसार रणनीतिक दिशा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है:
 - विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, विकसित करना और बढ़ावा देना।
 - अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
 - भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण का समर्थन करना।

J. C. बोस ग्रांट (JBG) के बारे में

- उद्देश्य: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, मानविकी और सामाजिक

विज्ञान में असाधारण उपलब्धियों वाले वरिष्ठ स्तर के शोधकर्त्ताओं को समर्थन प्रदान करना।

- **योग्यता:** सक्रिय वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक या शोधकर्त्ता।
 - ♦ किसी मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान/विश्वविद्यालय में कम से कम प्रोफेसर स्तर का पद या समकक्ष पद धारण करना।
 - ♦ प्रकाशनों, पेटेंटों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरणों, पुरस्कारों और अनुदानों के माध्यम से अनुसंधान में उत्कृष्टता का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड।
 - ♦ अनुदान का लाभ 15 वर्ष की आयु तक उठाया जा सकता है।

• **प्रमुख विशेषताएँ:**

- ♦ **वित्त पोषण राशि:** अनुसंधान गतिविधियों को समर्थन देने के लिए पाँच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 25 लाख रुपये।
- ♦ **संस्थागत सहायता:** कार्यान्वयन संस्था के लिए प्रति वर्ष ₹1 लाख।
- ♦ **बहु-विषयक क्षेत्र:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का समर्थन करता है।

Source: DST

